पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4699/आ०प्र० दिनांक 18.10.2013 वर्ष 2013 में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु जिले से की गई अधियाचना के आलोक में 38242 क्वींटल गेहूँ एवं 38242 चावल अर्थात कुल 76484 क्वींटल खाद्यान्न का आवंटन इस जिले को प्राप्त हुआ है। उक्त उपलब्ध खाद्यान्न को बाढ़ प्रभावित अंचलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्नरूपेण उपावंटित किया जाता है :–

क्र०	बाढ़ प्रभावित अंचल का नाम	बाढ़प्रभावित परिवारों की संख्या	पूर्व में आपूरित खाद्यान्न की मात्रा		वर्त्तमान में उपावंटित खाद्यान्न की मात्रा		कुल खाद्यान्न की मात्रा (क्वींटल में)
			गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	
1	2	3	4	5	6	7	
01.	पटना सदर	9806	0.00	0.00	4903.00	4903.00	9806.00
02.	दानापुर	17300	0.00	0.00	8650.00	8650.00	17300.00
03.	मनेर	21548	0.00	0.00	10774	10774	21548.00
04.	फतुहाँ	8827	0.00	0.00	4413.5	4413.5	8827.00
05.	अथमलगोला	4777	0.00	0.00	2388.5	2388.5	4777.00
06.	बख्तियारपुर	10581	0.00	0.00	5290.5	5290.5	10581.00
07.	खुसरूपुर	55	0.00	0.00	27.5	27.5	55.00
08.	बाढ़	102	0.00	0.00	51.0	51.0	102.00
09.	मोकामा	3487	0.00	0.00	1743.5	1743.5	3487.00
	कुल योग :–	76483	0.00	0.00	38241.5	38241.5	76483.00
	अवशेष खाद्यान्न :–		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00
	कुल योग :–		0.00	0.00	38242.00	38242.00	76484.00

1. संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे वर्त्तमान उपावंटित खाद्यान्न की अधियाचना अविलम्ब जिला प्रबंधक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना से करते हुए उसकी एक प्रति संबंधित प्रखण्ड के सहायक गोदाम प्रबंधक को हस्तगत करायेंगे तथा खाद्यान्न का उठाव कराकर यथाशीघ्र बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच इसका नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करेंगे।
2. जिला प्रबंधक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपावंटित खाद्यान्न का उठाव कराकर निर्दिष्ट अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. मुख्य शीर्ष 2245 अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति (2245–02–101–0002) इकाई मद में सभी संबंधित अंचलों को अपेक्षित आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। संबंधित अंचल अधिकारी उठाव किये गये

खाद्यान्न का जिला प्रबंधक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना से प्राप्त विपत्र की सम्यक् जाँचोपरान्त शीघ्रता से भुगतान भी करेंगे।

4. यदि राज्य खाद्य निगम द्वारा अन्य मद् का खाद्यान्न मुफ्त सहाय्य वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया हो तो उपरोक्त आवंटन से उसका सामंजन कर लिया जाय।

5. खाद्यान्न उठाव/वितरण का दैनिक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाये।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-05/13 4379 /आ०प्र०, दिनांक 28/9/13

प्रतिलिपि :– संबंधित अंचल अधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/पटना सदर/पटना सिटी/बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।